न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 97–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–12–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 2/अपील/13–14.

1– रामऋषि पुत्र मोहन सिंह कुर्मी
2– प्रकाश सिंह पुत्र मोहन सिंह कुर्मी
निवासीगण ग्राम चांदबड़
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरिचरण सिंह पुत्र स्व. जमना प्रसाद कुर्मी
2– रामसिंह पुत्र स्व. जमना प्रसाद कुर्मी
3– धीरज सिंह पुत्र स्व. जमना प्रसाद कुर्मी
4– हाकम सिंह पुत्र हरिचरण कुर्मी
5– गोविंद सिंह पुत्र रामसिंह कुर्मी
6– युवराज सिंह पुत्र धीरज सिंह कुर्मी
निवासीगण ग्राम चांदबड़
तहसील बेगमगंज जिला रायसेन
7– श्रीमती भागवती पुत्री स्व. जमना प्रसाद कुर्मी
पत्नी कोमल सिंह कुर्मी
निवासी ग्राम आवंरिया
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन
8– तुलसीबाई पुत्री स्व. जमना प्रसाद कुर्मी
पत्नी कल्याण सिंह कुर्मी
निवासी ग्राम गुन्नौठा
तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा
9– म0प्र0 राज्य द्वारा जिलाधीश रायसेन ....अनावेदकगण

श्री आर0 के0 जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 लगायत 8

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी जमना प्रसाद द्वारा आवेदकगण के पक्ष में दिनांक 28–9–2007 को पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया । जमना प्रसाद की दिनांक 15–4–2008 को मृत्यु होने पर तहसीलदार, बेगमगंज द्वारा प्रकरण कमांक 207/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 22–6–2009 से आवेदकगण के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–2–2010 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण व्यवहार न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए निराकरण करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10–5–2011 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 3–8–2013 को आदेश पारित करते हुए अनावेदक कमांक 1 लगायत 8 के पक्ष में समान भाग पर नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–5–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 3–8–2013 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–12–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में साक्ष्य अधिनियम की धारा 63(ग) के अंतर्गत विधिवत वसीयतनामा को प्रमाणित किया गया है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर स्वीकार किया गया है कि मृतक भूमिस्वामी जमना प्रसाद द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नाधीन भूमि को चारों पुत्रों के मध्य बटवारा कर दिया गया है, इसलिए प्रश्नाधीन भूमि पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित सम्पत्ति है ।

(3) अनावेदकगण दो घोड़ों की सवारी एकसाथ नहीं कर सकते हैं प्रथम अपंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 3–4–2008 से मृतक स्व. जमना प्रसाद के द्वारा वसीयत अंकित किया जाना द्वितीय पैतृक सम्पत्ति बतलाकर पुत्र–पुत्रियों के नाम पर स्वत्व संबंधी कथना करना एक–दूसरे के विपरीत है । इस प्रकार विचारण न्यायालय में स्वीकारोक्ति के विरूद्ध अनावेदकगण कथन करने से विबंधित हैं ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में अंकित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार वाद कमांक 2 ए/2014 विचाराधीन है, जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा मान्य किया गया है । उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किये जाने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में एक प्रमाणिक साक्षी द्वारा वसीयतनामा को प्रमाणित किया गया है, जिसे अविश्वसनीय मानने में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 250, 1998 आर.एन. 283, 2012 आर.एन. 409, 2014 आर.एन. 123 एवं 2015 आर.एन. 94 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 8 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि जमना प्रसाद को उनके पिता से प्राप्त हुई थी, अतः प्रश्नाधीन भूमि स्वअर्जित नहीं होकर पैतृक सम्पत्ति है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि मूल रूप से काशीराम की थी, और उसकी मृत्यु उपरांत उसके पुत्र जमना प्रसाद को प्राप्त हुई है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी भूमिस्वामी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी पैतृक अचल सम्पत्ति अपने समस्त वैध वारिसों को छोड़कर अपने किसी एक पुत्र के पुत्रगण को सम्पूर्ण भूमि वसीयत

कर दे । इस आधार पर कहा गया कि कथित वसीयतनामा विधि शून्य है, और ऐसे वसीयतनामा के आधार पर आवेदकगण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं ।

(3) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि में स्व. जमना प्रसाद के समस्त वारिसों अर्थात चारों पुत्र एवं दोनों पुत्रियों के हित संरक्षित है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है ।

(4) विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पैतृक अचल सम्पत्ति को धारक अपने जीवनकाल में वसीयत द्वारा अन्य संक्रात नहीं कर सकता है, और आवेदकगण का यह कहना गलत है कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित सम्पत्ति है ।

(5) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

(6) अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 एवं आवेदकगण के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 3–4–2008 दो साक्षियों से हस्ताक्षरित है, जिसे विधिवत प्रमाणित भी किया गया है, और अंतिम वसीयत ही मान्य होती है । इस वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2005 आर.एन. 228, 1996 आर.एन. 329, 1996 आर.एन. 420 (उच्च न्यायालय), 1998 आर.एन. 283 (उच्च न्यायालय), 1989 आर.एन. 269, 1990 आर. एन. 297, 1999 आर.एन. 181, 1999 आर.एन. 273, 1990 म.प्र. वीकली नोट 141 (सुप्रीम कोर्ट), 1986 आर.एन. 290, 2007 (2) 256 (छत्तीसगढ़ राजस्व जजमेंट्स), 2002 आर.एन. 359 (उच्च न्यायालय) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकृत किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमियां पैतृक हैं, और पैतृक भूमि की वसीयत करने का अधिकार मृतक भूमिस्वामी को नहीं था । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तथ्यों एवं वैधानिक प्रावधानों की विस्तृत विवेचना करते हुए स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रश्नाधीन भूमियां मृतक भूमिस्वामी स्व. जमनाप्रसाद की हैं, और जिस पर वैध उत्तराधिकारियों का बराबर हक है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि पूर्व में प्रकरण क्रमांक 79/अपील/अ–6/2008–09 में पारित आदेश

दिनांक 24—2—2010 पारित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि स्व. जमनाप्रसाद की स्वअर्जित भूमि मान्य नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा यथावत रखा गया है । इसके अतिरिक्त उभय पक्ष के द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि पैतृक होना स्वीकार किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 3—8—2013 निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमियां पैतृक मान्य करते हुए उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 के तहत स्व. जमना प्रसादद के वैध वारिसों मे मध्य बराबर विभाजित किये जाने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 9—12—2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर